

मूलवाद संख्या 2025/0

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

सरजीत सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

विविध प्रार्थना संख्या 2025/0/0

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
06.03.2025	<p>वादीगण अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.12.2024 को उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र 212 आरटीए संख्या 08/2021 को अदम पैरवी/अदम हांजरी में खारिज फरमाया गया था। प्रार्थीगण जानबुझकर गैर हाजिर नही हुए बल्कि तारीख पेशी का मुगालता लग जाने के कारण हाजिर नही आ सके। अतः न्यायहित में उक्त वाद रिस्टोर किया जावे। वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नये नम्बर पर दर्ज की जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 03.04.2025 को पेश हो।</p>	

31/4/25 आज पोंठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/5/25 को पेश हो

